भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1220

उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

नशा मुक्त भारत अभियान

1220. श्री शंकर लालवानी:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री मुकेश राजपूत:
श्री आलोक शर्मा:
डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम युवाओं पर वांछित प्रभाव डालने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के मादक पदार्थ प्रभावित जिलों में कितने पुनर्वास केन्द्र खोले गए हैं और इन केन्द्रों से कितने युवा लाभान्वित हुए हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करने वाले स्कूली छात्रों और नाबालिग युवाओं के पुनर्वास और जागरूकता हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अपनी योजनाओं से निजी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों आदि को जोड़ा है और उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किन्हीं निजी संगठनों को उक्त अभियान का हिस्सा बनाया गया है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 15 2020 को शुरू किया गया था और अब इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। नशा नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुँचना और स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मादक पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब तक, जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से से 14.07+ करोड़ लोगों को मादक पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें 4.90+ करोड़ युवा और 2.93+ करोड़ महिलाएँ शामिल हैं। 4.12+ लाख शैक्षणिक संस्थानों की

की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुँचे।

(ख): वर्तमान में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशे के सेवन से पीड़ित लोगों के लिए 350 एकीकृत नशामुक्ति पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन की प्रारंभिक रोकथाम के लिए 46 समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशनों (सीपीएलआई), 74 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी), 124 जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और 125 नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं (एटीएफ) चलाने के लिए सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। गत 03 वित्तीय वर्षों में युवाओं सहित कुल 12,07,803 लोग इन केंद्रों से लाभान्वित हुए हैं।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए नोडल विभाग है। मादक पदार्थों के सेवन के मुद्दे से निपटने के लिए, यह विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत स्कूली बच्चों और नाबालिग युवाओं के पुनर्वास और जागरूकता के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:

i. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) का शुभारंभ, जिसका विवरण ऊपर (क) में दिया गया है।
ii. इस विभाग ने नवचेतना मॉड्यूल (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और नशीली दवाओं की शिक्षा पर एक नई चेतना) - शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। नवचेतना मॉड्यूल का उद्देश्य स्कूलों में छात्रों के बीच नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना और जीवन कौशल पर शिक्षा को बढ़ावा देना है।
iii. इस विभाग द्वारा 46 समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों को सहायता प्रदान की जाती है। ये सीपीएलआई संवेदनशील और जोखिम वाले बच्चों तथा किशोरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता पैदा की जा सके और जीवन कौशल सिखाया जा सके।
iv. नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 का संचालन किया जा रहा है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

(घ) और (ड.): एनएमबीए को राज्यों/जिलों और राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान समितियों के माध्यम से सीधी, सिंगरौली और शहडोल - तीन जिलों वाले सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है।

एनएमबीए के तहत सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 872 शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के साथ 1.37+ लाख महिलाओं और 90+ हजार युवाओं सहित 5.38+ लाख लोगों को मादक पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है।

*****